लड़की से धोखा साबित हुए बिना एफआईआर नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने लव जेहाद कानून की कुछ धाराओं पर लगायी रोक

जेपी सिंह

कथित लव जिहाद को लेकर गुजरात की विजय रूपानी सरकार द्वारा हाल ही में बनाये गये कड़े कानून गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 पर गुजरात हाईकोर्ट ने रूपानी सरकार को तगड़ा झटका दिया है और कानून की कुछ धाराओं को लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बिरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा है कि यह अंतरिम आदेश लोगों को बेवजह प्रताड़ना से बचाने के लिए दिया गया है। 15 जून को राज्य सरकार ने इस कानून को राज्य में लागू किया था। इस कानून के तहत विवाह के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया था। गौरतलब है कि यह कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 में लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006 (5) एससीसी 475) में अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के ऐतिहासिक फैसले का खंडन करता है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस अशोक भान की पीठ ने निर्देश दिया था कि देश भर में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह देखेंगे कि यदि कोई भी लड़का या लड़की एक बालिग़ महिला के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है या एक बालिग़ पुरुष है, युगल हैं किसी को भी परेशान नहीं किया जाए और न ही हिंसा के खतरों या कृत्यों के अधीन, और कोई भी जो ऐसी धमकियां देता है या उत्पीड़न करता है या हिंसा का कार्य करता है या खुद अपने दायित्व पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का काम लिया जाता है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, जो कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं।

पीठ ने तल्ख टिप्पणी की थी कि कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों के क्सम्मान' हत्या के बारे में सुनते हैं, जो अपनी मर्जी से अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरते हैं। इस तरह की हत्याओं में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है, और वास्तव में वे क्रूर, सामंती दिमाग वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए हत्या के बर्बर और शर्मनाक कृत्य के अलावा कुछ नहीं हैं, जो कठोर सजा के पात्र हैं। केवल इस तरह से हम बर्बरता के ऐसे कृत्यों को समाप्त कर सकते हैं।

गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया है कि केवल शादी के आधार पर ही मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। खंडपीठ ने कहा है कि अंतर-धार्मिक विवाह के मामले में केवल शादी को ही एफआईआर का आधार नहीं बनाया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि बगैर यह साबित हुए कि शादी जोर-जबरदस्ती से हुई है या लालच से हुई है, पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। खंडपीठ ने अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के संशोधनों को लागू करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय ने शादी के जरिए जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को निषेध करने वाले एक नए कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बीती 6 अगस्त को राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था और मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित कर दी थी।

गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के खिलाफ याचिका पिछले महीने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की गुजरात शाखा ने दायर की थी। इस अधिनियम को 15 जून को अधिसूचित किया गया था। वर्चुअल सुनवाई के दौरान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने कहा कि संशोधित कानून में अस्पष्ट शर्तें हैं जो विवाह के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं और संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित धर्म के प्रचार, आस्था और अभ्यास के अधिकार के खिलाफ हैं। इस कानून के तहत तीन से पांच साल की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर पीड़ित एसटी, एससी समुदाय से है, तो ये सजा 7 साल तक की हो सकती है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जबरन या धोखे से शादी करता है और उसके बाद धर्म बदलने का दबाव डालता है तो उसे कैद और जुर्माने दोनों की सजा हो सकती है। इसमें मुजाहिद नफीस भी एक याचिकाकर्ता हैं।

कथित लव जिहाद को रोकने के लिए गुजरात सरकार ने इसी साल 1 अप्रैल को विधानसभा में यह कानून पास किया था। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे 15 जून से लागू कर दिया गया था। इस कानून के तहत प्रदेश के कई पुलिस थानों में प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 में राज्य में दूसरे धर्म में विवाह के लिए धर्मांतरण पर प्रतिबंध है। लेकिन कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है।

मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार ने अपने धर्मांतरण विरोधी कानून का बचाव भी किया था। सरकार ने दावा किया था कि कानून सिर्फ शादी के लिए धर्मांतरण से संबंधित है। यह कानून दूसरे धर्मों में विवाह करने से नहीं रोकता है। सिर्फ गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ है। हाईकोर्ट द्वारा उठाई गईं आशंकाओं को दूर करते हुए सरकार के वकील ने कहा कि कानून में कई सुरक्षा वाल्व हैं। इन संशोधनों का मकसद राज्य में 'लव जिहाद' की घटनाओं पर रोक लगाना बताया गया था। किसी को बहलाने-फुसलाने के लिए उसमें कुछ बातें जोड़ी गई हैं। इनके मुताबिक, 'बेहतर लाइफस्टाइल, दैवीय आशीर्वाद' के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना अब इस एक?ट के तहत दंडनीय अपराध होगा।

किसान आन्दोलन से भयभीत भाजपा...

पेज 1 का शेष

यादव के नेतृत्व में चल रही आशीर्वाद यात्रा को केन्द्रीय भाजपा कितना महत्व दे रही है उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि भूपेन्द्र के गांव में एक लाईब्रेरी का उद्घाटन स्वयं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे। इतना ही नहीं हर जगह भूपेन्द्र की जलसे की तैयारियों का स्तर सीएम की रैली से भी बढकर होता है।

राजनीतिक हल्कों में तरह-तरह की चर्चा गरम है। माना जा रहा है कि गुड़गावां के सांसद एवं केन्द्रीय राज्यमंत्री इन्द्रजीत यादव जो हमेशा अहीरवाल के मुख्य क्षत्रप होने के नाते गाहे-बगाहे सीएम पद की दावेदारी पेश करते रहते हैं, को कट-शॉर्ट करना है। दूसरी ओर आज कल भाजपा मुख्यमंत्रियों के पद बेचने का जो खेल, खेल रही है उसका शिकार खट्टर महाशय भी हो सकते हैं। यद्यपि बीते सात सालों से अनिल विज भी भीतर ही भीतर सीएम पद के लिये काफ़ी उछल-कूद मचाये हुये हैं। लेकिन भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व खट्टर एवं विज की 'योग्यता' में कोई फ़र्क नहीं समझता।

भूपेन्द्र यादव को यकायक ही प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। केन्द्रीय नेतृत्व ने इसे काफी पहले से अपने निशान पर लिया हुआ था। बिहार विधानसभा चुनावों में भी भूपेन्द्र को काफी उछाला गया था और अब यूपी के चुनाव में भी उनको उतारकर उनके कद को और बढ़ाया जाने वाला है। भाजपा नेतृत्व उनसे उम्मीद करता है कि वह हरियाणा में लालू यादव की तरह एक बड़े अहीर नेता का रूप ले लें।

मौजूदा परिस्थितियों में भाजपा पंजाबी वोटों के अलावा अहीर वोट बैंक पर पूरा भरोसा करके चल रही है। जाटों से निपटने के लिये उक्त दोनों जातियों के अलावा भाजपा की नज़र अन्य ओबीसी वर्ग पर भी है। केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया नया ओबीसी कानून भी इसी काम आने वाला है। यादव तो पहले से ही ओबीसी में हैं, जाटों से इससे बाहर रखकर अन्य जातियों को ओबीसी के बाड़े में लाकर जाटों को अलग-थलग करने की रणनीति पर भी भाजपा पूरी तरह से सक्रिय जान पड़ती है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।**
2. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
3. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।**
4. **जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207**
5. **राम खिलावन-बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794**
6. **मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919**
7. **सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421**

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर इसकी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

छठे वित्त आयोग को अफ़सरों ने दिए सुझाव, पानी पर ज़्यादा खर्च करने की माँग

करनाल, (म.मो.) छठे वित्त आयोग हरियाणा के चेयरमैन पी राघवेन्द्र राव ने गुरूवार को कर्ण लेक पर करनाल मण्डल के स्थानीय प्रशासन अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर, उनकी क्या-क्या सिफारिशें हैं, उन पर विचार-विमर्श कर सुझाव लिए। उनके साथ राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव विकास गुप्ता भी थे। इस मीटिंग में करनाल मण्डल के आयुक्त संजीव वर्मा, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया तथा पानीपत के उपायुक्त की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा, जिला नगर आयुक्त व निगमायुक्त करनाल डॉ. मनोज कुमार, पानीपत के निगम आयुक्त आर.के. सिंह तथा तीनो जिलो के सीईओ जिला परिषद, डी.डी.पी.ओ. व नगर पालिकाओं के ई.ओ. शरीक हुए।

पी. राघवेन्द्र राव ने बताया कि संविधान में हर 5 साल के बाद राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार का करों से एकत्रित होने वाला जितना राजस्व है, उसमें से पंचायतों व स्थानीय निकायों के साथ कितना शेयर करना है। संविधान के 73 वे व 74 वें संशोधन में भी पंचायतों व अर्बन लोकल बॉडिज़ के शेयर की ही बात कही गई है। उन्होंने कहा कि 5 वें राज्य वित्त आयोग में यह सिफारिश की गई थी कि स्टेट के टैक्स रिवेन्यू में से कॉलैक्शन चार्जिज़ कम करने के बाद कुल राजस्व का 7 प्रतिशत लोकल बॉडिज़ यानी पंचायतें व निकायों को आबंटित करना है। इसी 7 प्रतिशत में से 55 प्रतिशत पंचायतों तथा 45 प्रतिशत अर्बन लोकल बॉडिज़ को दिए जाने की बात की गई थी। पंचायतों के शेयर में से 75 प्रतिशत दिया जाए पंचायत, 15 प्रतिशत पंचायत समीति और 10 प्रतिशत जिला परिषदों के लिए निर्धारिण करना था। अब छटे वित्त आयोग के लिए आज मण्डल स्तर की जो मीटिंग की गई है, उसका मकसद यह है कि क्या पिछले फार्मूला में किसी बदलाव की जरूरत है या कोई नया टैक्स कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किन-किन उद्देश्यों के लिए अनुदान की सिफारिश की जा सकती है तथा उसकी पृष्ठभूमि क्या है।

बता दें कि इन सब चीजों को लेकर चेयरमैन ने आज फील्ड ऑफिसर व प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, ताकि यह मालूम हो सके कि उनकी क्या-क्या दिक्कतें हैं और वे सुधार के लिए किस तरह का बदलाव चाहते हैं। ऐसे सभी सुझाव लेने के बाद जो भी फिजिबल होगा, उसकी सिफारिश वित्त आयोग को की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग की शुरूआत करनाल से हुई है, इसी तरह सभी 6 मण्डलों पर उपायुक्त, सीईओं व प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, आयोग के सदस्यों, जनता तथा सरकार की भी राय लेंगे। उन्होंने कहा कि आज अधिकारियों के साथ जो मंथन किया गया है, उसमें अच्छे सुझाव आए हैं। पंचायतों व शहरी स्थानीय के विगत के 55 व 45 के अनुपात को बढ़ाकर 50-50 करने की बात कही गई है।

मीटिंग में मौजूद वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी तथा छठे वित्त आयोग के सदस्य सचिव विकास गुप्ता ने कहा कि आज का सैशन काफी उपयोगी है। सरकार जो भी पॉलिसी व स्कीमें बनाती है, उसे प्रभावी बनाने के लिए डेटाबेस जरूरी है। उन्होंने कहा कि फील्ड में जाकर ही स्थानीय प्रशासन की दिक्कतों और वे क्या चाहतें हैं, इन बातों का पता लगता है।

सुझाव में कहा गया कि टाईड यानी सेनीटेशन व ड्रिंकिंग वाटर पर 60 प्रतिशत और अनटाईड यानी गलियों के निर्माण आदि पर 40 प्रतिशत खर्च होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन यानी पंचायतों व शहरी निकायों के आय के स्त्रोत बढ़ने चाहिएं, जिसमें नागरिकों के साथ-साथ सरकारी विभागों से टैक्स कॉलैक्शन मिलनी चाहिए, ताकि सरकार के ऊपर अनुदान की निर्भरता कम से कम हो। गांवो में कॉमर्शियल गतिविधियों को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, ताकि पंचायतों की आमदनी बढ़े। इसके लिए ब्लॉक या जिला परिषद स्तर पर कराधीन अधिकारी होना चाहिए। टाईड में अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र की तरह गांवो में भी कॉमर्शियल पर विकास शुल्क लगाया जाना चाहिए। टाईड के अनुदान में शिक्षा व स्वास्थ्य को भी जोड़ा जाना चाहिए। पंचायतों के आय व खर्च के ऑडिट के लिए उनकी ट्रैनिंग व क्षमता निर्माण के भी सुझाव दिए गए।

निगमायुक्त करनाल ने इस बात पर जोर दिया कि सम्पत्ति कर को संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक पुराने दरें हैं। नगर पालिकाएं या निगम गैर कर प्रणाली से अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर काम होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनसंख्या के कल्याण के लिए जो पैसा आता है, वह दोगुणा होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा के लिए भी अनुदान मिलना चाहिए। अग्निशमन सेवाएं शहरी व ग्रामीण दोनो क्षेत्रों के लिए काम करती हैं, उनका खर्च ग्रामीण स्तर भी जुडना चाहिए। शहर में एच.एस.वी.पी., हाऊसिंग बोर्ड और दूसरे विभागों की काफी कॉलोनियां है, इनके विकास के लिए भी नगर निगम को खर्च करना पड़ता है। उपायुक्त करनाल का कहना था कि 73 वें व 74 वें संशोधन का मतलब यह था कि स्थानीय प्रशासन आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि पंचायतें अपने संसाधनों से जितनी कॉलैक्शन करती हैं, उतनी मैचिंग ग्रांट दी जाए। टाईड तथा अन्य स्कीमो में अच्छा काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए।

मीटिंग में मौजूद आई.आई.टी. रूड़की से प्रोफेसर एस.पी. सिंह, राज्य वित्त आयोग के सलाहकार डॉ. महीपाल, लिगल स्टेट फाइनेंस कमिशन के एडवाईज़र आर.के. मैहता, हिपा से डॉ. मनवीर कौर ने, आयोग की ओर से दिए गए मुद्दों पर अध्ययन का मीटिंग में वर्णन कर, उस पर अब तक कितना काम हुआ है, उसकी चर्चा की।

आयोग के चेयरमैन पी. राघवेन्द्र राव ने मीटिंग के बाद प्रतिनिधियों में करनाल की मेयर रेणू बाला गुप्ता, पानीपत की मेयर अवनीत कौर, वरिष्ठ महापौर राजेश अग्घी तथा उप महापौर नवीन कुमार से भी बातचीत की और उनके सुझाव पूछे। मेयर रेणू बाला गुप्ता ने बताया कि नगर निगम की ओर जिन सरकारी विभागो का बकाया है, उनका भुगतान होना चाहिए। इसी प्रकार विद्युत विभाग के बिल में म्यूनिसिपल टैक्स के रूप में उपभोक्ताओं से शुल्क लिया जाता है, उसका सही हिसाब-किताब होना चाहिए, ताकि निगम की आय में इजाफा हो और उससे ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हों।